न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 72/2019

1. बैतिया पुत्र ईसा जाति मेव निवासी लाडमका तहसील पहाडी ।
2. हनीफ पुत्र नसरू जाति मेव निवासी माधोगढ तहसील पहाडी।
3. हसन मौहम्मद पुत्र जीमल जाति मेव निवासी माधोगढ तहसील पहाडी।

वादीगण

बनाम

1. कपूर पुत्र गोपाल
2. लल्लू पुत्र गोपाल
3. मानसिंह पुत्र गोपाल जातियान माली निवासी गोपालगढ तह0पहाडी
4. राम पुत्र कपूर
5. गोकुल पुत्र मानसिंह
6. गोविन्द सिंह
7. धर्मसिंह
8. चेतराम
9. बाबूलाल पुत्रगण किशन लाल
10. किशन पुत्र रामचन्द
11. शेरी पुत्र किशन
12. मोती पुत्र किशन
13. हुकम पुत्र किशन
14. लेखराज पुत्र मंगल
15. कुवंर पुत्र मोती
16. प्रेम पुत्र मोती
17. धनसिंह पुत्र हरिराम
18. पूरन पुत्र हरिराम जातियान माली निवासीयान गोपालगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी भरतपुर राज0

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर0टी0 एक्ट

1. श्री बृजलाल शर्मा वकील वादीगण
2. श्री यशपाल वकील प्रतिवादीगण

(27)

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक :- 04/09/2023

निर्णय

वादीगण द्वारा यह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर आ0ख0न0 126/0.06 है बांके ग्राम माधौगढ तहसील पहाडी में स्थित है। आ0मुत0 पूर्व में मुस0 हाजरा बेबा आसीना जाति मेव निवासी ग्राम जोतरी पीपल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। जिसमें 0.02 एयर जमीन प्रार्थी नं0 1 ने 0.02 एयर प्रार्थी नं0 2 तथा 0.02 एयर प्रार्थी नं0 3 ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था। जिसका दा0खा0 वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसके आधार पर वादीगण आ0मुत0 को वहैसियत रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण की आ0मुत0 गोपालगढ से सीकरी वाली सडक के सहारे स्थित है जिसके सहारे प्रतिवादीगण की खातेदारी का ख0न0 125 है आ0मुत0 के व तरफ पश्चिमी डौल से लगता हुआ है जिसकी तहसीलदार पहाडी से दिनांक 16.10.18 को मुताबिक कानून व नियम पैमाईश कराकर निशानात कायम कराये जा चुके है। प्रतिवादीगण का आ0मुत0 से कभी कोई सम्बन्ध किसी किस्म का ना तो पहले कभी रहा है और ना ही इस वक्त है। परन्तु प्रतिवादीगण सरजोर वाने बन्द झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। जिन्होने दिनांक 16.10.2018 की पैमाईश के बाद आराजी मुत0 में नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से आराजी मुत0 की दक्षिणी व पश्चिमी डौल की तोडकर अपने खसरा नं0 125 में मिलाते हुये पत्थर बजरी डालते हुए लैट्रिन, बाथरूम, पौली, व एक दुकान व झोपडी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से आ0मुत0 में पत्थर बजरी डालने व जबरदस्ती निर्माण करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 03/06/2019 में से अपना सामान हटाने व आराजी मुत0 में से अपना कब्जा छोडने से साफ इन्कार कर दिया और ऐलानिया कहा कि अभी तो हमने तुम्हारी कम जमीन दावी है। हम तुम्हारी पूरी आराजी पर पक्का निर्माण कर कब्जा करके रहेगे प्रतिवादीगण आराजी मुत0 पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा बनाये हुए है। जिससे वादीगण को सख्त हक तलफी है। विधि वजह वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुत0 के पश्चिमी दक्षिणी दिशा के रकबा में किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कराते हुए प्रतिवादीगणको आराजी मुत0 से बेदखल कराकर वादीगण प्रतिवादीगण से आराजी मुत0 पर कब्जा वापिस पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण का आराजी मुत0 से कोई संबन्ध नहीं है। परन्तु प्रतिवादीगण बिना किसी विधिक अधिकार के जबरदस्ती लठ्ठ व ताकत के बल पर आराजी मुत0 के सम्पूर्ण रकबे पर अवैध व गैरकानूनी तरीके से कब्जा करते हुए निर्माण कार्य करने की फिराक में है जिसकी बाबत प्रतिवादीगण ने दिनांक 03/06/2019 को ऐलानिया धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

गये तो वादीगण को आराजी मुत0 के संबन्ध में ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद या अन्य किसी प्रकार से न हो सकेगी। विदी वजह वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वे वादीगण की खातेदारी की आराजी मुत0 में किसी प्रकार की मदाखलत व मदाहमत नहीं करे। वादीगण को आराजी मुत0 से जबरदस्ती बेदखल नहीं कर निर्माण कार्य व कब्जा नहीं करें। एवं आराजी मुत0 के संबन्ध में ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक वादीगण जायल हो। प्राईमा फैसाई एवं सुविधा का सन्तुलन पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी वादीगण को ही होगी। अतः प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0 एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को ताफैसला मुकदमा जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी मुत0 वर्णित मद नं0 2 प्रार्थना पत्र में वादीगण के साथ किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें एवं वादीगण को बेदखल कर आराजी मुत0 में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे निर्माण कार्य नहीं करे एवं आराजी मुत0 के संबन्ध में ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक वादीगण जायल हो।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये दिनांक 6/04/2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा गलत निराधार झूठे मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है जो काबिले खारिज है। प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 125 गोपालगढ से सीकरी जाने वाले सडक के सहारे फुटपाथ छोडकर स्थित है जिसे प्रतिवादीगण के पूर्वज तथा प्रतिवादी संख्या 10 किशन द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 12/06/1989 को मिलकीयत सिंह पुत्र ईश्वरी सिंह जाति सिख निवासी माधोगढ तहसील पहाडी से खरीद किया था वक्त खरीद से ही मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया। प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 125 में मकानात, दुकान,पोली, लैट्रिन, बाथरूम, मन्दिर, वगैराह बनाकर रिहायश तथा अपने उपयोग उपभोग में काम लेते तथा दुकान पर व्यवसाय करते चले आ रहे उक्त मकानात दुकान दिनांक 1? /10/2018 से पूर्व के ही बने हुये है तथा आज भी अपनी ही भूमि पर काबिज है इस प्रकार प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 126 से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 14 लेखराज का वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी भूमि के आस पास ना तो कोई आराजी है और ना ही कोई मकानात बने हुये है तथा ना ही वादीगण व प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का कोई संबंध है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 126/0.06 हैक्टर बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी के दक्षिण–पश्चिमी दिशा के रकबा में लैट्रीन, बाथरूम, पोली, दुकान व झोंपडी पत्थर बजरी डालकर अवैध (नाजायज) कब्जा कर रखा है जिससे बेदखल कराकर वादीगण प्रतिवादीगण से कब्जा वापिस पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया न्यायालय श्रीमान को मुकदमा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

........प्रतिवादीगण

<u>4:– दादरसी :–</u>

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में पी0डब्लू0 1 हनीफ , पी0डब्लू0 2 हस्सन, पी0डब्लू0 3 मकसूद के बयान दर्ज कराये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 73, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मौका रिपोर्ट दिनांक 16/10/2018 पेश की।

वकील प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी करने की हिदायत नहीं होना जाहिर किया प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 16/08/2023 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण के वकील की एक तरफा बहस सुनी गई। वादीगण के वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में दर्ज कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 126/0.06 हैक्टर बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी की दक्षिणी–पश्चिमी डौल को तोडकर प्रतिवादीगण ने अपने खसरा नम्बर 125 में मिलाते हुए पत्थर बजरी डालते हुए लैट्रिन ,बाथरूम, पौली व एक दुकान व झोंपडी बनाकर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी के खसरा नम्बर 126 के दक्षिण –पश्चिमी दिशा में रकबा पर नाजायज कब्जा कर रखा है । प्रतिवादीगण को वादीगण के खातेदारी के

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा से बेदखल किया जाकर उसका कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाये जाने की डिक्री फरमाई जावें।

हमने वादीगण के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य अवलोकन किया। वाद पत्र में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 73 से आराजी खसरा नम्बर 126 / 0.06 के वादीगण वाहिस्सा बराबर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होना साबित है एवं पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 16 / 10 / 2018 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 126 की सीमा प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 125 में निकलने का उल्लेख किया गया है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा लैट्रीन, बाथरूम, पॉली, दुकान , झोंपडी तथा पत्थर बजरी डालकर कब्जा किया जाना साबित होता है। प्रतिवादीगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य वगैराह पेश नहीं की है। जिससे साबित होता है कि प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी के खसरा नम्बर 126 / 0.06 हैक्टर बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी के दक्षिण –पश्चिमी रकबा पर अतिक्रमण कर नाजायज रूप से काबिज है जिनको आराजी खसरा नम्बर 126 / 0.06 के दक्षिण–पश्चिमी दिशा के रकबा से बेदखल किया जाकर उसका कब्जा वादीगण को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 126 / 0.06 हैक्टर बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी के दक्षिण–पश्चिमी रकबा में किये गये अवैध–नाजायज कब्जा से बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

निर्णय आज दिनांक 04 / 09 / 2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner